मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ 11-3/2015/नियम/चार   भोपाल, दिनांक 7 नवम्बर, 2015

प्रति,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
मध्यप्रदेश शासन
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त कोषालय अधिकारी
मध्यप्रदेश ।

विषय- वित्त विभाग की अनुमति के बिना खोले गये खाते बंद किये जाने बावत् ।

—◆—

उपर्युक्त विषय पर पूर्व में वित्त विभाग द्वारा जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 25 जून, 2015 एवं 17 अगस्त, 2015 के निर्वचन में हो रही कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुये इन निर्देशों को अधिक्रमित करते हुए निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं :-

(अ) वित्त विभाग की स्वीकृति के बिना खोले गये बैंक खातों को तत्काल प्रभाव से बंद कर उनमें जमा राशि राज्य शासन के पक्ष में जमा की जाये ।

(ब) वित्त विभाग की स्वीकृति के बिना कोई भी अग्रिम आहरण नहीं किया जाए (ऐसे प्रकरणों को छोड़कर जिनमें बुक ट्रांसफर से भुगतान किया जा रहा है) ।

(स) (i) यह प्रावधान शासकीय कार्यालय के द्वारा कोषालय से संव्यहार के लिये लागू है। इस निर्देश का प्रभाव निगम/मंडल/उपक्रम/अनुदान प्राप्त संस्थाओं के द्वारा लिये जाने संव्यवहारों पर लागू नहीं होगा ।

(ii) शासन द्वारा अनुमोदित ऐसी योजनायें जो शासन की अर्ध शासकीय संस्थाओं/निगमों/मंडलों के माध्यम से संचालित है, के मामले में मान्य नहीं होगें।

2/ यदि किसी कोषालय अधिकारी द्वारा वित्त विभाग की बिना अनुमति के खोले गये बैंक खातों में/से राशि का अंतरण या बिना स्वीकृति के अग्रिम आहरण अनुमत्य किया जाता है तो उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अनिरुद्ध मुकर्जी)
सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

SUNITA/Rule2015/Paripatra/

पृ.क्रं. : एफ 11-3/2015/नियम/चार

भोपाल, दिनांक 17 नवम्बर, 2015

प्रतिलिपि,

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी सह-आयुक्त, कोष एवं लेखा, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(अजय चौबे)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

SUNITA/Rule2015/Parıpatra/